भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या : *10

सोमवार, 04 दिसंबर, 2023 (13 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

त्योहारों के दौरान हवाई किराए में वृद्धि होना

***10. श्री राम नाथ ठाकुर:**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि त्योहारों के दौरान विमानन कंपनियां हवाई यात्रा का किराया कई गुना बढ़ा देती है, जिससे आम जनता के लिए त्योहारों के दौरान हवाई यात्रा का लाभ उठाना असंभव हो जाता है;

(ख) नवंबर 2023 में दिवाली और छठपर्व के दौरान बिहार जाने वाले विमानों के किराए में सामान्य दिनों की तुलना में अंतर का ब्यौरा क्या है; और

(ग) जनवरी से नवंबर 2023 तक बिहार के सभी विमानपत्तनों पर जाने वाले विमानों के किराए का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ग) : एक वक्तव्य सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"त्योहारों के दौरान हवाई किराए में वृद्धि होना" के संबंध में'' राज्य सभा के दिनांक 04.12.2023 के तारांकित प्रश्न संख्या 10 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित वक्तव्य।

(क): मौजूदा विनियमों के अनुसार, सरकार द्वारा हवाई किराए न तो निर्धारित किए जाते हैं और न ही विनियमित। वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 135 के उप नियम (1) के प्रावधान के तहत, अनुसूचित हवाई सेवाओं में प्रवृत्त, प्रत्येक हवाई परिवहन उपक्रम द्वारा, प्रचालन की लागत, सेवाओं की विशेषता, युक्तियुक्त लाभ और आम तौर पर प्रचलित टैरिफ सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ निर्धारित करना अपेक्षित है।

एयरलाइन मूल्य निर्धारण प्रणाली कई स्तरों (बकेट या आरबीडी) में है, जो वैश्विक स्तर पर अपनाई जा रही परिपाटियों के अनुरूप हैं। कीमतों का निर्धारण, एयरलाइनों द्वारा, बाजार, मांग, मौसम और बाजार के अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। क्योंकि किराया बकेट में कम किराए वाली सीटें शीघ्र ही बिक जाती हैं, सीटों की मांग में वृद्धि होने पर हवाई किराया बढ़ जाता है और उसके बाद किराया बकेट में अधिक किराए वाली सीटें ही उपलब्ध रहती हैं।

(ख) और (ग) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट की स्थापना की है, जो यादृच्छिक आधार पर चुनिंदा घरेलू क्षेत्रों पर किरायों की निगरानी करती है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि एयरलाइनों द्वारा वसूल किए जाने वाला हवाई किराया, उनकी वेबसाइट पर प्रदर्शित एवं निर्धारित शुल्क सीमा के भीतर है। चूँकि यह निगरानी, यादृच्छिक आधार पर चयनित परिवर्तनीय मार्गों पर की जाती है, अतः सभी क्षेत्रों के लिए हवाई किराया संबंधी संपूर्ण विवरण डीजीसीए द्वारा नहीं रखा जाता है।

वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 135(2) की अनुपालना में सभी अनुसूचित घरेलू एयरलाइनें अपनी वेबसाइटों पर अपनी टैरिफ शीट को प्रकाशित करती हैं ताकि यात्रियों के लिए पारदर्शिता बनी रहे।

****